Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

धीरज

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
हल्द्वानी (ग्रामीण)

Case No:01 /2024

ORDER SHEET

01-01-24

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 10-01-2024 तक उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

[signatures]

10/01/2024

निर्णय

पत्रावली पेश। विपक्षी उत्तरपत्र मय कन्ज्यूमर हिस्ट्री, मेल माध्यम से प्रस्तुत है। परिवादी की मूल शिकायत अपने विद्युत संयोजन में अंकित नाम "Dheeraj" के स्थान पर "Dhiraj" जो उसके आधार कार्ड एवं अन्य कागजातों में दर्ज है करना दर्ज सम्बन्धी है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं कन्ज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि, विपक्षी द्वारा परिवादी के संयोजन सं 391A11525398। में उसका गलत नाम "Dheeraj" के स्थान पर (Dhiraj) DHIRAJ" कर नाम की गलती को उसके आवेदन एवं मांग के अनुसार कर दिया गया है। जिसकी की पुष्टि विद्युत संयोजन बिल व कन्ज्यूमर हिस्ट्री आदि से होना विदित है।

अतः परिवादी की समस्या का निदान हो जाने से पत्रावली की कार्यवाही समाप्त की जाती है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। नकल पक्षकारों को प्रेषित हो।

[signatures]

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

राकेश कुमार अग्रवाल । — बनाम — अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि0, रामनगर

Case No:-02 /2024

ORDER SHEET

23/01/2024 पत्रावली विपक्षी उत्तर/पत्र की प्रतीक्षा में अवलोकन की। विपक्षी उत्तर/पत्र के साथ पत्रावली प्रस्तुत है। विपक्षी उत्तर/पत्र एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर/पत्र एवं संलग्न अभिलेख से प्रतीत हो रहा है कि परिवादी के विद्युत संयोजन 40111227952 में त्रुटिवश गलत मो० नं० अंकन को सही कर दिया गया है। अतः मामले में पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित रखी जाती है।

Hosu

निर्णय

25/01/24 पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। परिवादी की शिकायत के अनुसार उनके मोबाइल पर किसी अन्य विद्युत उपभोक्ता के विद्युत संबंधी SMS आने से हो रही परेशानी का निवारण विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। विपक्षी के अनुसार विद्युत खाता संख्या 40111227952 में त्रुटिवश गलत अंकित मो० सं० 9927367310 को सही करते हुए 9927367370 कर परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Hosu
सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

कविता जोशी — बनाम — अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि0, हल्द्वानी (ग्रामीण)

Case No:-04 /2024

ORDER SHEET

25/01/24 — पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। परिवादिनी की खराब मीटर बदले जाने सम्बन्धी शिकायत का निवारण विपक्षी द्वारा मीटर बदलकर कर दिया गया है। प्रमाणस्वरूप सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। परिवादिनी द्वारा भी मंच कार्यालय में पत्र भेजकर (खण्ड कार्यालय के माध्यम से) संतुष्टि व्यक्त की गयी है। अतः परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

जीवन लाल बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि0, हल्द्वानी (न0)

Case No:- 08 /2023

ORDER SHEET

16/01/2024 – नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत करें। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी दिनांक 27.01.24 तक अपना उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पक्षकार सूचित हों।

निर्णय

25.01.24 – पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में विपक्षी को दिनांक 27.01.24 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करना था। विपक्षी द्वारा दिनांक 24/01/24 को पत्रांक 354 के माध्यम से आख्या प्रेषित की गयी है। आख्या के अनुसार परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। आख्या के साथ बिल लेजर की प्रति संलग्न की गयी है। लेजर का अवलोकन करने से यह तथ्य पाया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को ₹ 3620.00 का समायोजन प्रदान किया गया है वर्तमान में उपभोक्ता पर कोई देय अवशेष नहीं है। विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी द्वारा मंच कार्यालय में दूरभाष पर संतुष्टि व्यक्त की गयी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता) वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–319/2023, दिनांक 01.7.2024

वी0के0 शर्मा
वोहरा गांव
भीमताल
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसका विद्युत कनेक्शन संख्या–597BN26085866 का विद्युत मीटर खराब होने के कारण विद्युत बिल नहीं बन पा रहे थे। माह मार्च में मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग डाल दिए जाने के कारण ₹ 80885.00 का बिल आ गया। जिसकी शिकायत उसके द्वारा उपखण्ड कार्यालय में की गई जांच के उपरान्त मीटर खराब होने के कारण उसका विद्युत मीटर बदल दिया गया और नया मापक स्थापित किया गया ।उसके मार्च माह के खराब बिल का समायोजन विभाग द्वारा उसे अभी तक नहीं दिया गया है जिस संदर्भ में उसके द्वारा बार–बार कार्यालय में अनुरोध किया गया है। अतः निवेदन है कि उसके खराब विद्युत बिल को समायोजित करने हेतु विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 12.10.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत मीटर की बिलिंग से सम्बन्धित समस्या का समाधान करने हेतु एम0आर0आई जांच की गयी जिसमें स्पष्ट रिर्पोट नहीं आ रही है, जिस कारण उपभोक्ता के विद्युत मीटर की

क्रमशः

स्पष्ट जांच हेतु सहायक अभियन्ता (मापक) से भी सहयोग लिया जा रहा है। उक्त प्रकरण में सहायक अभियन्ता (मापक) को दूरभाष एवं व्हट्ऐप के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है। जिसमें स्पष्ट रिर्पोट प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त समय लगना स्वाभाविक है। अतः माननीय फोरम से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आख्या प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त 01 सप्ताह का समय प्रदान करने की कृपा करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत एक अन्य पत्र दिनांकित 21.10.2023 में कहा गया है कि अपने कार्यालय पत्रांक–3698 दि० 12.10.2023 के माध्यम से संज्ञान में लाया गया था कि उपभोक्ता के विद्युत मीटर की एम0आर0आई जांच की गयी, जिसमें स्पष्ट रिर्पोट नहीं आ पायी थी, जिस हेतु उपभोक्ता के विद्युत मीटर की स्पष्ट जांच हेतु सहायक अभियन्ता (मापक) से भी सहयोग लिया जा रहा था। उक्त एम0आर0आई जांच पुनः स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मै० टी०डी०एस० को भी अवगत कराया गया है। उपभोक्ता के मापक की स्पष्ट जांच एवं आख्या प्राप्त करने हेतु मै० टी०डी०एस० को उपखण्ड कार्यालय भीमताल द्वारा दि० 16. 10.2023 को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसमें मै० टी०डी०एस० द्वारा कोई रिर्पोट प्राप्त नहीं हुयी है। मै० टी०डी०एस० द्वारा अतिशीघ्र स्पष्ट रिर्पोट प्राप्त होते ही ससमय मा0 मंच को प्रेषित किया जा सम्भव हो पायेगा।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त पत्र दिनांकित 09.11.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत मीटर की बिलिंग से सम्बन्धित समस्या का समाधान करने हेतु एम0आर0आई जांच की गयी जिसमें स्पष्ट रिर्पोट न आने के कारण उपभोक्ता के विद्युत मीटर की स्पष्ट जांच हेतु सहायक अभियन्ता (मापक) से भी सहयोग लिया गया था जिसके पश्चात भी स्पष्ट रिर्पोट प्राप्त न हो सकी। उक्त प्रकरण में मै० टी०डी०एस० द्वारा ली गयी रीडिंग में उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सका। उपभोक्ता के मापक की स्पष्ट रिर्पोट प्राप्त करने हेतु मापक को उपखण्ड कार्यालय भीमताल के पत्रांक–729 दि0 08.11.2023 के अनुसार सम्बन्धित कम्पनी (Sachendra Electric India Pvt Ltd- Mysure) को भेजा गया है। उक्त मापक की स्पष्ट रिर्पोट प्राप्त होने में समय लगना स्वाभाविक है। कम्पनी द्वारा मापक की स्पष्ट रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात ही आख्या प्रस्तुत की जा सकेगी। अतः माननीय फोरम से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आख्या प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त 01 माह का समय प्रदान करने की कृपा करें।

5. दिनांक 12.12.2023 में मंच में सुनवाई के समय विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त वाद के क्रम में वादकर्ता के पुराने मापक की उपभोग यूनिटों के संबंध में एल० एण्ड टी० मापक कम्पनी द्वारा प्रेषित एम0आर0आई0 रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर विद्युत बिल उपभोग अनुसार ही पाया गया है. एम०आर०आई० रिपोर्ट अनुसार जांच/परिणाम इस प्रकार हैः–

क्रमशः

(1.) एम0आर0आई0 रिपोर्ट अनुसार पुराने मापक की अन्तिम रीडिंग 94467.31 Kwh पाई गई है। जबकि पुराने मापक के आधार पर माह 03/2023 में विद्युत बिल 93983 Kwh तक ही निर्गत हुआ है।

(2.) माह 08/2022 में उपभोक्ता को मापक यूनिटों के आधार पर, रीडिंग 82388 Kwh तक का विद्युत बिल निर्गत किया गया, तत्पश्चात इन्हें माह 09/22 तथा 11/2022 के बिल संबंधित बिलिंग कार्यदायी संस्था द्वारा 0 यूनिट के आधार पर निर्गत किए गये, जिसका स्पष्टीकरण पत्रांक सं0 708/वि0वि0उप०(भी०)/दि० 02.11.23 के द्वारा खण्ड/फोरम को प्रेषित किया जा चुका है।

(3.) माह मार्च 2023 में जो वास्तविक रीडिंग का बिल निर्गत किया गया है, एम0आर0आई0 रिपोर्ट के आधार पर उसकी पुष्टि हो रही है। साथ ही अवगत कराना है कि उपभोक्ता के माह 08/2022 से 03/2023 (विवादित समयकाल) तक का वास्तविक उपभोग का औसत लगभग 1657 यूनिट/प्रतिमाह आ रहा है, जो कि पूर्व के निर्गत बिलों के औसत के समान है। फोरम को अवगत कराना है कि एम0आर0आई0 रिपोर्ट/उपभोक्ता के वास्तविक औसत उपभोग एवं उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर उपभोक्ता को वास्तविक विद्युत बिल ही निर्गत किया गया है।

6. परिवादी द्वारा व्हट्सऐप के माध्यम से प्रस्तुत पत्र दिनांकित 28.12.2023 में कहा गया है कि "In my last email I had requested your good self to kindly defer the hearing till 25th of January as I am out of station for some urgent work but somehow the date is fixed for today. I am a retired IAS officer and can't come over and over again for the hearing. Sir I have gone through the MRI report of the meter which is justifying the electricity consumption which was earlier challenged by me citing that the meter was faulty You will appreciate that we the common people are not technically sound to comment on such reports. Keeping in mind the average charges of monthly consumption on my connection please settle the amount as the forum deems fit.

7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया विपक्षी की ओर से प्रस्तुत परिवादी की विस्तृत कन्ज्यूमर हिस्ट्री एवं मीटर की MRI रिपोर्ट का अध्ययन करने पर यह तथ्य पाया गया कि दिनांक 14.08.2022 को परिवादी के मापक की रीडिंग 82388 KWH थी। उसके बाद के दो बिल चक्रों में शून्य विद्युत खपत के बीजक जारी किए गए हैं जबकि MRI में विद्युत खपत प्रदर्शित हो रही है। अर्थात मीटर रीडर द्वारा मनमानी से शून्य खपत के बीजक जारी किए गए जिससे बाद में मार्च 2023 में रोकी गई यूनिटों का एकमुश्त बीजक परिवादी को दिया गया तथा खपत पर विवाद की स्थिति पैदा हुई। कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 05.05.2023 को परिवादी का मापक बदल दिया गया तथा मापक बदलते समय रीडिंग 93983 दर्ज की गई है। जबकि बिल हिस्ट्री में दिनांक 28.03.2023 को भी मीटर का पठनांक 93983 ही दर्ज है। दूसरी तरफ MRI रिपोर्ट के हिसाब

क्रमशः

से परिवादी के मापक की अंतिम मीटर रीडिंग 94467 यूनिट है। मंच के मत में पुराने मापक की दिनांक 14.08.2022 से 05.05.2023 तक की वास्तविक खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए बिल संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। MRI रिपोर्ट एवं कन्ज्यूमर हिस्ट्री के आधार पर उक्त अवधि में वास्तविक खपत 12079 यूनिट (94467–82388) रही है। अतः दिनांक 15.08.2022 से 05.05.2023 तक 264 दिन में 12079 यूनिट की खपत पुराने मापक से हुई है। अर्थात 1373 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से उक्त अवधि का बीजक संशोधित किया जाना तर्कसंगत होगा।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 15.08.2022 से मीटर बदले जाने की तिथि 05.05.2023 तक का बीजक 1373 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समय–समय पर लागू टैरिफ ऑर्डर के अनुसार उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई धनराशि का समायोजन करते हुए संशोधित करे। नये मापक की स्थापना से वर्तमान तक का बीजक मापक की वास्तविक रीडिंग के अनुसार जारी करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिकार देय नहीं होगा। विपक्षी/विभाग निर्णय/आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 01/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	01/01/2024 (पी सी पाण्डेय) सदस्य (तकनीकी)	(टीकाराम जोशी) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः– 01/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(पी सी पाण्डेय) सदस्य (तकनीकी)	(टीकाराम जोशी) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–341/2023, दिनांक 11.01.2024

भास्कर मासीवाल परिवादी
पुत्र राम दत्त मासीवाल
शिवलालपुर पांडे
रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि हमारा आवास शिवलालपुर पांडे में है तथा विगत कई वर्षो तथा सदैव समय पर अपने बिलों का भुगतान करते आए है। पिछले वर्ष नवम्बर 2022 को अचानक उसका बिल ₹ 39312.00 आया जिसके बाद हमने विभाग से संपर्क करा तथा एक चेक मीटर लगवाया जिसमे मीटर में 96 प्रतिशत तेजी पाई गई। उसके बाद से ही लगातार हम बिजली विभाग से संपर्क करवाने की कोशिश करते रहे ताकि ₹ 39312.00 का बिल संशोधित कर हमे दिया जाए। परिवादी एक अवकाश प्राप्त सीनियर सिटीजन है तथा अनेक चक्कर लगाकर विभाग को पुराने बिल दिखा चुका है कि उसका बिल सामान्यत 4 से 5 प्रतिमाह आता है। अतएवं आपसे अनुरोध है की 96 प्रतिशत की तेजी को देखते हुए बिल संशोधित कर दिया जाए।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि परिवादी द्वारा संयोजन सं०–RR1M123072137 पर चैक मापक लगवाने हेतु आवेदन किया गया था एवं उनके आवेदन के

क्रमशः

आधार पर दिनांक 02.12.2022 को उनके संयोजन पर चैक मापक स्थापित किया गया था, जिसे दिनांक 19.04.2023 को फाईनल किया गया था। मुख्य मापक 96 प्रतिशत तेज पाया गया था। विभागीय नियमानुसार उक्त संयोजन पर दिनांक 22.07.2023 को ₹ 20109.00 का समायोजन दिया गया है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में कहा गया है कि "I'm so sorry to say the reply doesn't suit the question raised. Can the department provide me following details ? -where is our original meter? if the check meter said the reading was 96 percenr high why can't the same be deducted from the meter charge ? It's a pure harrasment the department has been doing of a reputed Ex Govt employee. Its been over a year and the fact is the ramnagar electricity department has lost the original meter and now coming up with reasons beyond logic. Kindly reply with a logical reply explaining when the average reading of a residence has been 5/6k a month how did it magically aggravate for a month? How can a residence consume so much energy? There are many loopholes in the department in Ramnagar and I have a whole list of complainees. I shall be compelled to move my case to higher authorities if a logical solution is not provided.

4. दिनांक 03.01.2024 को मंच में उभयपक्षों की सुनवाई हुई। पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं समायोजन के आकलन की प्रति भी उपलब्ध करवाई गई। परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि उसको पूर्व में तीव्र चलते पाए गए मूल मापक के विरुद्ध किए गए समायोजन के बाद विद्युत बिल उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह समायोजन के उपरान्त के समस्त बिल एवं अद्यतन अवधि के बिल को परिवादी एवं मंच दोनों को उपलब्ध कराते हुए अपनी आख्या मंच में प्रस्तुत करें।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 09.01.2024 में कहा गया है कि समायोजन के उपरान्त के समस्त बिल व अद्यतन अवधि के बिल संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित किये जा रहे हैं (कागज संख्या–10/1 से 10/5)।

6. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया। कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार परिवादी के परिसर पर दिनांक 02.12.2022 को चैक मीटर स्थापित किया गया जिसे 26.12.2022 को फाइनल किया गया। मीटर शुद्धता जांच में परिवादी का मापक 96 फीसदी तेज चला पाया गया। दिनांक 07.06.2023 को ₹ 15132.00 का समायोजन परिवादी को दिया गया। पुनः दिनांक 22.07.2023 को विपक्षी द्वारा परिवादी को ₹ 20109.00 का समायोजन प्रदान किया गया। तथा दिनांक 28.07.2023 को पूर्व में प्रदत्त समायोजन को गलती मानते हुए ₹ 15132.00 परिवादी के बिल में जोड़ दिए गये। दिनांक 19.04.2023 को पुनः परिवादी का मापक IDF पर बदल दिया गया। मापक बदलते समय पुराने मापक की रीडिंग 1521 थी। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं बिल लेजर के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी चैक मापक का समायोजन अपनी मनमानी से करता रहा। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत

क्रमशः

नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम के प्रावधानों के तहत परिवादी को चैक मापक का समायोजन प्रदान किया जाना चाहिए था जो विपक्षी द्वारा नहीं किया गया। मंच के मत में चैक मापक स्थापित करने की तिथि 02.12.2022 से एक वर्ष पूर्व के बिलों में चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर (मेन मापक को 96 फीसदी तेज मानते हुए) समायोजन प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। दिनांक 02.12.2022 से 19.04.2023 तक का बीजक मीटर संख्या 10205957 की खपत (1521 यूनिट एवं IDF अवधि के 28 दिन जोड़ते हुए) के आधार पर तथा 19.04.2023 से वर्तमान तक वर्तमान मीटर संख्या 979206 की वास्तविक खपत के आधार पर परिवादी का बीजक संशोधित किया जाना उचित एवं तर्कसंगत होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त चर्चा के अनुसार परिवादी को 02.12.2022 से एक वर्ष पूर्व तक के बीजकों में चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर उचित समायोजन प्रदान करें तथा दिनांक 02.12.2022 से 19.04.2023 तक का बीजक मीटर संख्या 10205957 की वास्तविक खपत के आधार पर जारी करें। साथ ही दिनांक 19.04.2023 से वर्तमान तक के बीजक की गणना वर्तमान मीटर संख्या 979206 की वास्तविक खपत के आधार पर की जाये। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। विपक्षी एक सप्ताह के भीतर परिवादी को संशोधित बीजक हस्तगत कराये तथा परिवादी संशोधित बिल प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर भुगतान करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—11/01/2024

11/01/2024		11/01/2024
(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।
दिनांकः—11/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–343/2023, दिनांक 11.01.2024

शांति नेगी — परिवादिनी
पत्नी कविन्द्र सिंह नेगी
निवासी वार्ड नं0–56
मानपुर पश्चिम, रामपुर रोड
देवलचौड़, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि प्रार्थिनी शांति नेगी पत्नी श्री कविन्द्र सिह नेगी, निवासी वार्ड नं0–56, मानपुर पश्चिम, रामपुर रोड, देवलचौड़, हल्द्वानी जिला–नैनीताल की है। उसका उक्त पते पर 200 वर्ग फिट की दुकान बनी हुई उसके ऊपर कमरा है जिसमें उसका घरेलु विद्युत कनैक्शन नं० 392डी0205679031 है। उसके के विद्युत मीटर में मीटर जम्पिंग द्वारा रिडिंग काफी ज्यादा आ रही है जिसका मूल्य ₹ 25,238.00 दिखा रहा हैं। ट्रान्सपोर्ट विद्युत ऑफिस द्वारा जो धनराशि कम की गयी है जो कि प्रार्थिनी देने में असमर्थ है कृपया सर्वे कर पिछले बिलों के हिसाब से बिल दिलवाने की कृपा करे। अतः महोदय उसके पिछले बिलों की रिडिंग देखकर उसी आधार विद्युत बिल दिलवाने की कृपा करे। तथा प्रार्थिनी एक गरीब परिवार से यानि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जोकि इस मीटर जम्पिंग

क्रमशः

आयी हुई रिडिंग के हिसाब से बिल भरने में असमर्थ है। उक्त बिल की सर्वे कर उसके बिल को कम करवाने की कृपा कीजिएगा।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता का बिल संशोधन पूर्व में उपखण्ड कार्यालय टी०पी० नगर द्वारा किया गया है। शिकायतकर्ता के विद्युत बिल की हिस्ट्री संलग्न कर प्रेषित की जा रही है(कागज संख्या–3/1 से 3/3)। शिकायतकर्ता के विद्युत मापक की एम0आर0आई0 करने हेतु मै0 टी०डी०एस० को आदेशित किया गया है तथा उत्तर आपेक्षित है।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 13.12.2023 में कहा गया है कि मै0 टी०डी०एस० कम्पनी के कर्मचारी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर लगे विद्युत मापक की एम० आर० आई करना सम्भव नही हो पा रहा है।
4. मंच उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादिनी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादिनी को 2 किलोवाट विद्युत संयोजन 1 अक्टूबर 2020 को अवमुक्त किया गया। विपक्षी द्वारा प्रथम बीजक दिनांक 30.12.2020 को जारी किया गया। संयोजन अवमुक्त होने की तिथि से परिवादिनी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग (MU) के बिल जारी किए गये जिनका परिवादिनी समय–समय पर भुगतान करते रहे हैं। अगस्त 2023 में परिवादिनी को 3340 यूनिट खपत (वर्तमान रीडिंग 4140 एवं पिछली रीडिंग 800) बिल जारी किया गया। यह बिल दिनांक 05.06.2023 से 07. 08.2023 की अवधि के लिए ₹ 22979.00 का [illegible] जारी किया गया। उसके बाद 06.09.2023 में मीटर रीडिंग 4410 का बिल जारी किया गया। इन बिलों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और परिवादिनी ने बीजक का भुगतान नहीं किया। परिवादिनी द्वारा विभाग में शिकायत करने पर संशोधित बीजक की राशि से वह संतुष्ट नहीं हुए और मंच में वाद दायर किया। 2 किलोवाट के विद्युत संयोजन पर दो माह में 3340 यूनिट विद्युत खपत के संबंध में विपक्षी मंच में कोई तकनीकी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। विपक्षी MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी नाकाम रहा है। कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार परिवादिनी की अधिकतम मांग भी 1 किलोवाट ही रही है। ऐसी दशा में 2 किलोवाट के विद्युत संयोजन से दो माह में 3340 यूनिट की खपत नामुमकिन है तथा इस खपत को बिना तकनीकी साक्ष्य के यह मंच स्वीकार नहीं कर सकता। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत संशोधित बीजक गणना शीटों को भी मंच अस्वीकार करता है। क्योंकि 2 किलोवाट भार 24 घंटे चलाये जाने पर भी इतनी खपत नहीं हो सकती। अतः मंच के मत में परिवादिनी के मापक ने जून 2023 से अगस्त 2023 के मध्य या तो असामान्य व्यवहार किया है अथवा किसी अन्य कारण से मीटर यूनिट जम्प हुआ है। ऐसी दशा में परिवादिनी का बीजक उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नियमों के तहत पूर्व के तीन बिल चक्रों के औसत {(68+22+20)/2=110/3=37 यूनिट} आधार पर संशोधित किया जाना तथा परिवादिनी का वर्तमान मापक तत्काल बदला जाना न्यायोचित होगा।

क्रमशः

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। परिवादिनी को जारी बीजक दिनांक 07.08.2023 एवं उसके बाद के समस्त बीजक संशोधन हेतु निरस्त किए जाते हैं। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 07.08.2023 का बीजक 37 यूनिट खपत के आधार पर संशोधित करें। दिनांक 08.08.2023 से 08.12.2023 तक का बीजक कुल 307 यूनिट खपत (4447 – 4140) के हिसाब से संशोधित होगा। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिकार देय नहीं होगा। विपक्षी एक सप्ताह के भीतर परिवादिनी को संशोधित बीजक हस्तगत कराये तथा परिवादिनी संशोधित बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी का वर्तमान मापक तत्काल बदलकर नया मापक स्थापित करें। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आदेश के अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 11/01/2024

11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024
(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः– 11/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

प्रकाशपाल   बनाम   अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि०,
हल्द्वानी (ग्रामीण)

Case No:-344 /2023

ORDER SHEET

निर्णय

03/01/2024   पत्रावली पेश। परिवादी द्वारा फोरम में चलाये गये परिवाद में विपक्षी द्वारा विद्युत खपत सम्बन्धी जमा धनराशि से सम्बन्धी विवाद था। विपक्षी द्वारा अपने उत्तर व संलग्न लेखा में अतिरिक्त जमानत धनराशि के [illegible] को जमा किया जाना उल्लेखित किया है। अतः द्वारा पत्रावली में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में वर्णित कथनों एवं संलग्न अभिलेखों लेखा का निरीक्षण/अवलोकन करने पर पाया कि विवादित धनराशि को परिवादी के अतिरिक्त जमानत खाते में जमा है। जिससे परिवादी भी सन्तुष्ट है। इस सम्बन्ध में ई-मेल माध्यम से सन्तुष्टि पत्र पत्रावली में मौजूद है।

अतः परिवादी को जमा विवादित धनराशि अतिरिक्त जमानत मद में जमा होने से वह सन्तुष्ट है तथा मामले में अपेक्षा आदेश/ पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी   सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी   सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Kumaou Zone,Haldwani

ललित मोहन पाण्डे बनाम — अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी (ग्रामीण)

Case No.:- 345/2023

ORDER SHEET

29/12/2023 — पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा पूर्व तिथि में ही परिवादी के बिल में वांछित संशोधन कर दिया गया एवं सम्बन्धित साक्ष्य भी उपलब्ध करा दिया था, जिससे परिवादी का संशोधित बिल ऋणात्मक (–) रु० 581=04 मात्र हो गया है, परिवादी द्वारा भी विपक्षी की कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया है, बाद में निर्णय सुरक्षित किया जाता है।

07/01/2024 — निर्णय

पत्रावली आज निर्णय हेतु प्रस्तुत है। परिवादी की मुख्य समस्या विपक्षी द्वारा निर्गत बिलों में अनियमितता। एवं एकबार बिल भुगतान करने पर भी उस समय अवधि को दो बार बिल निर्गत करनेवाली समस्या है। जिस सम्बन्ध में 6 माह का बिल सारणी प्रस्तुत की है। विपक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी आख्या उत्तर दिनांक 23/11/2023 संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत है। परिवादी द्वारा आज नियत तिथि को लेख माध्यम से विपक्षी के संशोधित बिल से सन्तुष्ट होते हुए, फोरम से मामले की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। फोरम के मत में भी परिवादी के त्रुटिपूर्ण बिल को विपक्षी द्वारा सही कर संशोधित बिल जारी कर दिया है। अतः उपरोक्त आधार पर मामले की कार्यवाही समाप्त की जाती है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार सूचित हो।

सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–346/2023, दिनांक01.01.2024

बसन्त बल्लभ तिवारी — परिवादी
पुत्र प्रेम बल्लभ तिवारी
गुलाबघाटी, पुरानी चुंगी
काठगोदाम
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
जसपुर।

निर्णय

1.परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसका संयोजन संख्या–3865112555861 व खाता संख्या–42000006879 (व्यवसायिक) है जो कि बसन्त बल्लभ तिवारी के नाम से है। महोदय पिछले कुछ माह से उसका बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है। उसका एक बिल ₹ 11291.00 का आया है। जो कि बहतु ज्यादा है। उसका लोड 1 किलोवाट का है और उसके द्वारा ऐसे किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है जिससे बिजली की इतनी खपत हो सके। उसे 894 यूनिट का CDF बिल दिया गया है। उसके द्वारा विभाग में कई बार मौखिक व लिखित रूप में शिकायत की गयी परन्तु विभाग द्वारा उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इतनी धनराशि जमा करना उसके बस की बात नहीं है। कृपया उसके बिल को सही करने की कृपा करें ताकि वह समय से अपने बिल का भुगतान कर सके। महोदय से निवेदन है कि उसकी समस्या का समाधान करने की कृपा करें।

क्रमशः

2.विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के शिकायत के अनुसार उनका बिल संशोधित कर दिया गया है, साक्ष्य हेतु लेजर की प्रति संलग्न कर प्रेषित की है(कागज संख्या–3 / 1)।

3.मंच द्वारा सम्यक रूप से पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की मूल समस्या उसके संयोजन संख्या–386112555861 से संबंधित अधिक बिल आने से संबंधित है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के सापेक्ष मंच निर्देशानुसार दिनांक 12.12.2023 के उत्तर पत्र संलग्न कन्ज्यूमर लेजर में परिवादी के विवादित बिल का संशोधन कर दिया जाना उल्लेखित है। इसके समर्थन में कन्ज्यूमर लेजर भी प्रस्तुत की है। जिसमें परिवादी के विवादित बिल को संशोधित कर अवशेष भुगतान मात्र ₹ 998.67 दर्शाया है। परिवादी इससे संतुष्ट है तथा इस संबंध में संतुष्टि पत्र मंच को भेजते हुए मंच का आभार व्यक्त किया है। संतुष्टि पत्र पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली के अवलोकन से भी विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान किया जाना साबित हो रहा है। अतः उपरोक्त आधार पर मामले की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी द्वारा भी पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की गई है। अतः वाद पर कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखित दफ्तर हो।

दिनांकः–01/01/2024

01/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–01/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Kumaoun Zone,Haldwani

एम०सी० जोशी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
हल्द्वानी (नगर)

Case No.: 347/2023

ORDER SHEET

29/12/2023— पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा पूर्व तिथि में ही सूचित कर दिया गया था कि परिवादी का खराब मीटर बदल दिया गया है। विपक्षी द्वारा मीटर बदले जाने का सीलिंग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। परिवादी द्वारा भी मीटर बदल दिये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रस्तुत की है। बाद में निर्णय सुरक्षित किया जाता है।

Joshi

निर्णय

03/01/2024— पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत है। परिवादी की मूल शिकायत उसके खराब मीटर को बदलने सम्बन्धी है। जिस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा दिनांक 13/12/2023 को उत्तर पत्र प्रस्तुत करते हुए परिवादी के खराब मीटर को परिवर्तित किया जा चुका है। जिस सम्बन्ध में विपक्षी सीलिंग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। परिवादी द्वारा आज नियत तिथि में खराब मीटर के स्थान पर नया मीटर लगा देने की पुष्टि करते हुए मामले की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। उपरोक्त सम्बन्धित अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध हैं।

अतः उपरोक्त आधार पर मामले की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

Joshi
सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

पवन कुमार गुप्ता बनाम अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
हल्द्वानी (नगर)

Case No:-348/2024

ORDER SHEET

12/01/2024

आदेश / निर्णय

पत्रावली आज सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। पक्षकार उपस्थित। विपक्षी ने परिवादी के विवादित बिल से सम्बन्धित संशोधित बिल लेखा प्रस्तुत किया है। जिसमें परिवादी को रु.15643/= का समायोजन करते हुए रु. 8291/= रु० अवशेष बिल धनराशि दर्शित है। परिवादी ने बहस के दौरान इससे संतुष्ट होते हुए मामले की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। मंच द्वारा भी परिवादी की बिल सम्बन्धी आपत्ति एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिल लेखा का अवलोकन किया गया। मंच के मत में विपक्षी द्वारा M.R.I. जांच के माध्यम से मामले में परिवादी के विवादित बिल को संशोधन करते हुए उचित समाधान किया गया है। परिवादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए मामले की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार मामले की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय पक्षकारों के समक्ष खुले मंच में उद्घोषित किया गया। निर्णय की प्रति पक्षकारों को भेजी जाए।

(Margin: पवन कुमार; Ass/ Accountant Khedi)

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

डी० के० पाण्डे । बनाम अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
हल्द्वानी (ग्रामीण)

Case No:-349/2024

ORDER SHEET

10/01/2024 — पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। निपक्षी द्वारा पूर्व में ही परिवादी की शिकायत से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण कर सूचित कर दिया गया था। परिवादी द्वारा भी कृत कार्यवाही पर पूर्ण सन्तोष व्यक्त करते हुए ~~वाद~~ वाद की कार्यवाही समाप्त करने हेतु अद्यतन तिथि में, पत्र द्वारा अवगत कराया है।

निर्णय

निपक्षी द्वारा परिवादी के वाद में संस्थित शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है एवं परिवादी द्वारा भी कार्यवाही पर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की है। अतः परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने एवं इस बावत परिवादी की संतुष्टि पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Kumaoun Zone, Haldwani

किशोर कुमार बिष्ट बनाम अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
हल्द्वानी (नगर)

Case No.:-350/2023

ORDER SHEET

28/12/2023— पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा पूर्व में ही परिवादी के बिल में वांछित संशोधन कर सूचित कर दिया गया था। परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा कृत कार्यवाही पर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की गई है। वाद पर निर्णय सुरक्षित किया जाता है।

निर्णय

03/01/2024 पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा उसके परिसर पर स्थापित चैक मापक के अनुसार बिल में समायोजन प्रदान नहीं करने पर यह वाद दायर किया गया था। विपक्षी द्वारा पत्रांक 3942, दिनांकित 18/12/23 के माध्यम से बिल संशोधन कर लेजर की प्रति प्रस्तुत की गयी है। लेजर के अनुसार परिवादी का बीजक चैक मापक रिपोर्ट के हिसाब से संशोधित कर दिया गया है। परिवादी द्वारा ई-मेल के माध्यम से विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा गया है कि वह लेजर विवरण से संतुष्ट है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

कुशल सिंह

बनाम

कैम्प - कालाढूंगी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-352-/2023

ORDER SHEET

02/01/2024 — **निर्णय**

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। परिवादी द्वारा दिनांक 13/12/2023 को कालाढूंगी में आयोजित कैम्प में शिकायत दर्ज कर खराब मापक बदलने की याचना की गयी है। विपक्षी अधिशासी अभियंता द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता का खराब मापक दिनांक 19/12/2023 को बदला जा चुका है। सीलिंग प्रमाण पत्र संलग्न। मंच द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। सीलिंग प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का खराब मापक बदलकर उसकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकारों को सूचित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Haldwani

शांति देवी बनाम कालाढूंगी (क्षेत्र)

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:353 /2023

ORDER SHEET

02/01/2024 — निर्णय

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। परिवादी ने खराब विद्युत मीटर के संबंध में यह वाद दायर किया था। विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता का खराब मापक बदला जा चुका है। आख्या के साथ मीटर बदलने का सीलिंग प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

नवीन चन्द्र कैम्प- कालाढूंगी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-354 /2023

ORDER SHEET

02/01/2024 — निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा आख्या पत्रांक 6365 प्रस्तुत की गयी। आख्या के अनुसार उपभोक्ता का खराब मापक दिनांक 29/12/2023 को बदला जा चुका है। आख्या के साथ सीलिंग प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। परिवादी की मूल शिकायत मीटर बदले जाने के संबंध में थी जिसका निराकरण विपक्षी द्वारा मीटर बदलकर कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बनाम

हरि सिंह

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-355 /2023

ORDER SHEET

04/01/2024 —

निर्णय

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। प्रस्तुत वाद दि. 13/12/2023 को कालाढूंगी में आयोजित कैम्प में दायर किया गया था जिसमें परिवादी द्वारा उसका खराब मापक बदले जाने की याचना की गयी है, विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि परिवादी का खराब मीटर दिनांक 19/12/2023 को बदला जा चुका है। आख्या के साथ सीलिंग प्रमाण पत्र संलग्न है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सीलिंग प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी का खराब मापक बदलकर उसकी शिकायत का समाधान किया जा चुका है। परिवाद तदनुसार निस्तारित। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

विनोद कुमार

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

मालधूंगी शिविर

Case No:- 356/2023

ORDER SHEET

दिनांक– 13/12/2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक ~~[illegible]/2023~~ 13/01/2024 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक 13/01/2024 को अवकाश होने के कारण वाद में 12/01/2024 की तिथि नियत की जाती है।

निर्णय

12/01/2024 — पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी की बिल सम्बन्धी शिकायत का समाधान करते हुए विपक्षी द्वारा संशोधित बीजक प्रस्तुत किया गया। विपक्षी की आख्या का अवलोकन किया गया। संशोधित बीजक में परिवादी द्वारा पूर्व में जमा की गयी ₹ 330.00 की राशि का समायोजन प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में वास्तविक मीटर रीडिंग पर बिल संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के बाद बिल की बकाया राशि ₹ 188.00 मात्र है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

प्रकाश चन्द्र जोशी बनाम अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड,

उपाकालि0,

कालाढूंगी शिविर रामनगर

Case No:- 357 /2023

ORDER SHEET

दिनांक– 13 / 12 / 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 12/01/2024 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय

12/01/24

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी की बिलिंग सम्बन्धी शिकायत का समाधान करते हुए विपक्षी द्वारा संशोधित बीजक प्रस्तुत किया गया है। संशोधित बीजक में परिवादी द्वारा पूर्व में जमा की गयी ₹ 540.00 की धनराशि का समायोजन कर दिया गया है तथा वर्तमान में वास्तविक मीटर रीडिंग पर बिल संशोधित कर दिया गया है, जो संशोधन के बाद ₹ 289.00 मात्र का है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता) वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2—पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या—358 / 2023, दिनांकः—10.01.2024

परिवादी

विद्यासागर
पुत्र जैदराम
गांव—आवलाकोट
कोटाबाग
जिला—नैनीताल

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांकित 13.12.2023 में कहा गया है कि उसका वर्तमान में 3 किलोवाट का कनैक्शन है जिसे 1 किलोवाट करने की कृपा करें।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता की अधिकतम विद्युत मांग 3 कि0वा0 आ रही है जिस कारणवश विद्युत भार को कम करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता हिस्ट्री संलग्न (कागज संख्या—3 / 2)।
3. मंच द्वारा उपभोक्ता हिस्ट्री का अवलोकन करने पर यह तथ्य पाया गया कि परिवादी की मासिक खपत मात्र तीन यूनिट से 10 यूनिट के मध्य ही रही है तथा हिस्ट्री में अंकित अधिकतम मांग के कॉलम में अधिकतम एक माह में 1 किलोवाट दर्ज किया गया है। परन्तु नवम्बर माह में 3 किलोवाट MD दर्ज है। जबकि नवम्बर माह में परिवादी की खपत पूरे महीने में मात्र 4 यूनिट रही है। ऐसी दशा में मंच द्वारा विपक्षी को परिवादी के मापक की MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा

क्रमशः

विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 05.01.2024 में उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मापक की MRI रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की गयी।

4. मंच द्वारा परिवादी के मापक की MRI रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। MRI के अनुसार परिवादी की 01.02.2023 से 01.01.2024 के मध्य प्रत्येक माह में अधिकतम मांग (MD) आधा किलोवाट से भी कम रही है उपरोक्त महीनों में सबसे अधिक मांग 0.220 किलोवाट रही है। MRI रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि नवम्बर 2023 में मीटर रीडर द्वारा परिवादी के मापक की MDI चैक किये बिना मनमानी से 3 किलोवाट भर दिया गया। उपरोक्त चर्चा से मंच इस मत का है कि परिवादी के लोड घटाने संबंधी शिकायत स्वीकार करने योग्य है। परिवादी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लोड घटाने हेतु विपक्षी के कार्यालय में आवेदन किया जाना उचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का लोड 3 किलोवाट से घटाकर 1 किलोवाट किए जाने संबंधी आवेदन पर निर्धारित समयावधि के भीतर लोड घटाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 10/01/2024

10/01/2024
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)

10/01/2024
(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।
दिनांकः— 10/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)

(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

कैलाश चन्द्र
कालाढूंगी-कैम्प

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-360 /2023

ORDER SHEET

04/01/2024 —

निर्णय

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। परिवादी ने अपने खराब विद्युत मीटर के संबंध में यह वाद दायर किया है। विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता का खराब मापक बदला जा चुका है। आख्या के साथ सीलिंग प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी का खराब मीटर बदलकर उसकी शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Haldwani

इद्रीस अहमद

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-361 /2023

ORDER SHEET

04/01/2024 —

निर्णय

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। परिवादी ने खराब विद्युत मापक के सम्बन्ध में यह वाद दायर किया था। विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता का खराब मापक बदला जा चुका है। आख्या के साथ मापक बदलने का सीलिंग प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

हरीश कांडपाल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-263 /2023

ORDER SHEET

30/12/2023 पत्रावली पेश। सम्म निर्देशानुसार विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र मेल माध्यम से प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया है कि दिनांक 29/12/2023 को परिवादी का पुराना मीटर बदल दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में सीलिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत है। अतः मामले की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व अभिलेखों के आधार पर निर्णय सुरक्षित हेतु पत्रावली रखी जाती है।

02/01/2024 — **निर्णय**

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत है। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी की शिकायत व विपक्षी-उत्तरपत्र व संलग्न सीलिंग प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है कि परिवादी के पुराने मीटर को बदलकर उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। तदनुसार प्रेषित हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

श्रीमान सिंह (कैम्प-कालाढूंगी) बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि0, रामनगर

Case No:-366 /2023

01/01/2024 —

निर्णय ORDER SHEET

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके विद्युत मीटर के टर्मिनल प्लेट खराब होने के कारण आग लगने का खतरा बना हुआ है, अतः उसका मीटर बदलवा दिया जाये। विपक्षी अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर पत्र में कहा है कि परिवादी का मापक बदला जा चुका है। साक्ष्य के लिए सीलिंग प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। सीलिंग का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का खराब मापक बदलकर उसकी शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

राम दत्त जोशी

कैम्प - कालाढूंगी।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-368/2023

ORDER SHEET

30/12/23 पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी को विपक्षी की आख्या पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए आज की तिथि नियत की गयी थी परन्तु परिवादी द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व तिथि में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या में कहा गया था कि परिवादी का मापक चैक करने पर सही पाया गया। सीलिंग प्रमाण पत्र व बिल हिस्ट्री आख्या के साथ संलग्न है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित।

(signatures)

04/01/2024 —

निर्णय

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की मूल शिकायत उसके घरेलू बिल अधिक आने के संबंध में है तथा बिल संशोधन की याचना की गयी है। विपक्षी द्वारा परिवादी का मापक चैक कर सीलिंग प्रमाण पत्र भरा गया एवं परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के साथ मंच में आख्या प्रस्तुत की गयी। सीलिंग प्रमाण पत्र व हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के ही बिल प्रेषित किये गये हैं, जो सामान्य खपत के हैं। अतः वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी बिलों के संशोधन का औचित्य नहीं है। तथा वाद खारिज होने योग्य है। परिवादी मीटर शुद्धता की जांच कराना चाहता है तो इसके लिए उपखण्ड कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(signatures)

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORU[M]

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

गंगा सिंह

बनाम

अधिशासी अभियन[्ता]
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-370 /2023

ORDER SHEET

01/01/2024 —

निर्णय

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। यह वाद दिनांक 13-12-2023 को मंच द्वारा कालाढूंगी में आयोजित शिविर में दायर किया गया था। परिवादी ने अपना खराब मापक बदलने की याचना मंच से की है। विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया है कि परिवादी का खराब मापक वाद दायर करने की तिथि को ही बदल दिया गया है। सीलिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत है। सीलिंग प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का खराब मापक बदलकर उसकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

गोपाल सिंह

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-371 /2023

ORDER SHEET

निर्णय

25/01/24 - पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत । परिवादी की मीटर शुद्धता जांच हेतु चैक मापक स्थापित किये जाने संबंधी शिकायत का विपक्षी द्वारा निराकरण कर दिया गया है। सीलिंग प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न। अतः परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बबुली देवी   बनाम   अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:-372/2023   कालाढूंगी कैम्प

ORDER SHEET

01/01/2024 —

निर्णय

पत्रावली निर्णय हेतु पेश है। परिवादी ने खराब विद्युत के सम्बन्ध में मंच - कैम्प कार्यालय कालाढूंगी में शिकायत दर्ज की है। विपक्षी द्वारा अनुपालन प्रस्तुत करते हुए परिवादी के खराब मीटर को बदल दिया जाना अभिकथित है। जिससे पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी के खराब मीटर को विपक्षी द्वारा बदला जा चुका है अतः मामले में कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Haldwani

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
हल्द्वानी (नगरीय)

आनंद बल्लभ जोशी

Case No:-373 /2023

01/01/2024 — निर्णय

ORDER SHEET

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा उसे तीन माह से विद्युत बिल प्राप्त नहीं होने सम्बन्धी शिकायत मंच में की गयी है तथा कहा गया है कि उनके 29 सितम्बर 2023 को पिछला बिल जमा किया था। शिकायत के साथ बिल दिनांकित 28/09/2023 की प्रति भी संलग्न की गयी है। विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तरपत्रांक 3979 मंच में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उपभोक्ता को उक्त माहों का बिल निर्गत कर दिया गया है। साक्ष्य स्वरूप बिल की प्रति संलग्न की गयी है, बिल का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बीजक दिनांक 28-09-2023 से 19/12/2023 तक की अवधि का निर्गत किया गया है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2—पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या—374 / 2023, दिनांक 10.01.2024

रेखा जोशी
पत्नी प्रताप चन्द्र जोशी
एस.के.पुरम, हल्द्वानी
जिला—नैनीताल। परिवादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैं रेखा जोशी पत्नी प्रताप चन्द्र जोशी निवासी एस.के.पुरम कमलवागांजा, हल्द्वानी, मेरे यहां 3 फेस विद्युत मीटर लगा हुआ है। जिसकी मीटर संख्या—8796884 लगा था जो कि पुराना था जिसका बिल अत्यधिक आ रहा था। जिसके लिये उसने विद्युत विभाग कमलवागांजा के ऑफिस में शिकायत दर्ज की थी जिसके उपरान्त चैक मीटर लगाया गया कुछ दिनों के पश्चात विभाग द्वारा चैक मीटर लगाया गया और चैक मीटर हटाने के बाद उसके पुराने मीटर की रीडिंग स्लों बताया गया है। जबकि उसकी शिकायत यह थी की उसका बिल मीटर सही नहीं चल रहा है जिसके उपरान्त बिल अत्यधिक आ रहा है। विभाग की लापरवाही के कारण उसका कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है और अधिक बिल बताया जा रहा है। जिसे वह जमा करने में सक्षम नहीं है। RDF के बिल बनाये जा रहे हैं। कृपा कर उसके पुराने बिल के आधार पर उसके बिलों को सही बनाये जाये। जिसे वह जमा कर सके।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि परीक्षण खण्ड द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाने के कारण बिल रिविजन कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

क्रमशः

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 02.01.2024 में कहा गया है कि परीक्षण खण्ड द्वारा शिकायकर्ता के चैक मापक की सीलिंग ऑनलाइन फीड कर दी गयी है बिल हिस्ट्री व बिल संशोधन की गणना शीट भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (कागज संख्या–5/1 व 5/2 से 5/5)।
4. परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रतित्तर पत्र दिनांकित 08.01.2024 में कहा गया है कि उसके द्वारा जो याचिका दी गयी उसका निवारण, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा कर दिया गया है जिससे वह संतुष्ट है। अतः विद्युत विभाग द्वारा जो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को संशोधित बिल जिसकी धनराशि ₹ 24850.11 (चौबीस हजार आठ सौ पचास) है प्रेषित की गयी है। उससे वह संतुष्ट है अतः निवेदन है कि उक्त धनराशि ₹ 24850.11 को Online Update करवाने की तथा इस बिल की कार्यवाही को पूर्ण करने की कृपा करें।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादिनी की बिल संशोधन संबंधी शिकायत पर विपक्षी द्वारा संशोधित बीजक गणना शीट मंच में प्रस्तुत की गयी। संशोधन के बाद परिवादी पर ₹ 24850.11 की धनराशि बकाया है। परिवादिनी भी इस संशोधन से संतुष्ट है। परन्तु उसका कहना है कि बकाया राशि Online Update नहीं हुई है। परिवादिनी की उक्त गणना शीट के आधार पर संशोधित बीजक हस्तगत कराया जाना न्यायोचित होगा ताकि वह बकाया राशि का भुगतान कर सके।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश किया जाता है कि परिवादिनी को संशोधित बीजक 3 दिन के भीतर हस्तगत कराये तथा परिवादिनी बिल प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा कराये। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 10/01/2024

10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।
दिनांकः– 10/01/2024

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Kumaoun Zone,Haldwani

मदन सिंह हाल्सी — बनाम — अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीताल

Case No.: 34/2023

ORDER SHEET

निर्णय

24/01/24 — पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली पर सुनवाई हेतु 22/01/2024 की तिथि नियत की गयी थी। विपक्षी के अनुरोध पर दिनांक 24/01/24 को मंच के गरमपानी में आयोजित शिविर में सुनवाई की गयी। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवादी की बिल हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि दिनांक 12/11/2022 में परिवादी के मापक की रीडिंग 1390 थी मार्च 2023 में भी रीडिंग 1390 दर्शित है तथा 13/05/23 में भी रीडिंग 1390 ही दर्शित है। इसके बाद 16/07/2023 को रीडिंग 6299 दर्ज की गयी तथा 10536/- का बिल भेजा गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 01/05/23 रीडिंग 1390 एवं दिनांक 16/07/23, रीडिंग 6299 के चित्र भी प्रस्तुत किये गये। मंच द्वारा सभी अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 04/09/2023 को परिवादी का मापक बदला गया। मापक बदलते समय अंतिम रीडिंग 3073 दर्ज की गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 1 कि०वा० के संयोजन पर दो माह में मीटर रीडिंग 1390 से 6299 को मंच स्वीकार नहीं कर सकता, विपक्षी द्वारा सुनवाई में अपने फील्ड कर्मियों (मीटर रीडर) के माध्यम से यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी का घर अधिकांशतः बंद रहता है तथा कभी-कभी उनकी माताजी वहां अकेले निवास करती हैं।

ऐसी दशा में मंच इस मत का है कि परिवादी के मापक की रीडिंग 1390 की तिथि 12-11-2022 से मीटर बदले जाने की तिथि 04/09/2023 तक का बिल Normative उपभोग के

[signatures]

क्रमशः ----

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

मदन सिंह हल्दी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
नैनीताल

Case No:-377/2024

ORDER SHEET

आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। यह उपभोग BPL श्रेणी के आधार पर आगणित किया जायेगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 12-11-2022 से ~~वर्तमान तक का~~ दिनांक 04-09-2023 तक का बीजक Normative उपभोग के आधार पर तथा 04-09-2023 से वर्तमान तक का बीजक नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित करे। विपक्षी एक सप्ताह के भीतर संशोधित बीजक परिवादी को हस्तगत कराये तथा परिवादी संशोधित बीजक प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। उपरोक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा करायी गयी धनराशि का समायोजन भी किया जायेगा। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

परिवादी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

(पी. सी. पान्डेय)
सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी

(टी0 आर0 जोशी)
सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0मं0 हल्द्वानी